

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 135/2023

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मनप्रीत सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख सा.अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

चरणजीत सिंह पुत्र टेक सिंह जाति जटसिख सा.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।

बनाम

गुरमीत कौर पत्नी टेक सिंह जाति जटसिख सा.अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

हरपाल कौर पत्नी टेक सिंह जाति जटसिख सा.अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

अजायब सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति जटसिख सा.अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

आत्मा सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

करनैल सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

गुरदयाल सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

गुरदयाल सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

गुरदेव सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

चुन्नी पत्नी हेतराम जाति जाट सा.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।

छिन्द्र कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

तेजकौर पत्नी करनैल सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

नवदीप सिंह पुत्र हरमेल सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

प्रताप सिंह पुत्र धोकल जाति जाट सा.धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।

बलवीर सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

बोहड सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

मन्नी पत्नी बीरबल जाति जाट सा.अमरपुरा जालू तहसील संगरिया।

रजी कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

लाल सिंह पुत्र अनोप सिंह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह.संगरिया।

विरेन्द्र कुमार पुत्र हरदयाल सिंह जाति जाट सा.धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।

वीरपाल कौर पुत्री करनैल सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

सजना पत्नी श्योकरण जाति जाट सा.धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।

समझदार सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख सा. 12 एमजेडी तह.संगरिया।

सुरजाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट सा.धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।

सुलतान पुत्र लुणाराम जाति जाट सा. धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।

हरपत पुत्र हजारी जाति जाट सा.धौलीपाल तह. व जिला हनुमानगढ़।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 13.11.2023

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे

नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिंह सिद्ध वकील प्रतिवादी 1, 2 मिन

मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक

अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1 नवदीप सिंह पुत्र हरमेल सिंह 3.132 हि. जाति जट सिख निवासी अमरपुराजालू राहिन एसबीआई शाखा संगरिया	प.मं. अमरपुराजालू के चक 14 एमजेडी के खाता सं. 57/21 खाते का योग 5.035 हैव. (विवादित श्रेणी का है)	नवदीप सिंह पुत्र हरमेल सिंह 3.132 हि. जाति जट सिख निवासी अमरपुराजालू राहिन एसबीआई शाखा संगरिया	प.न. 130/178 मु.न. 18 का कि. न. 23,24/0.506, 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. रास्ता, प.न. 130/179 मु.न. 19 का कि.न. 2,3,4,7,8,9,12/1.771, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता, 6/1/0.228, 6/2/0.025 गै.मु. रास्ता कुल-3.036 हैव.

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

श्री कौर पत्नि टेक सिंह 0.244 हरपाल कौर पत्नि टेक सिंह हि. मनप्रीत सिंह स्वर्णजीत पि. टेक सिंह बहिब 0.972 जाति जट सिख निवासी अमरपुराजालू	मनप्रीत सिंह स्वर्णजीत सिंह पि. टेक सिंह बहिब जाति जट सिख निवासी अमरपुराजालू	प.न. 130/179 मु.न. 19 का कि. न. 13,14,17,18/1012, 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै. मु. रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै. मु. रास्ता, 23/2/0.241, 24/2/0. 240 कुल-1.999 हेक्.
---	--	---

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर
या गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो
उक्त वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी
न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया
के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/2882 दिनांक 21.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नयत भूमि
मुक्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के
अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

जि. मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय
में जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महसिक क्लर्क एवं
उपरवाह अधिकारी,
संगरिया